अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बाह (मुरैना) म.प्र.

(जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सम्बद्ध स्वशासी महाविद्यालय)

प्रवेश विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन-पत्र

सत्र 2024-25

महाविद्यालय का पता : मुरैना रोड, पुरानी तहसील के सामने, अम्बाह (म.प्र.)

दूरभाष : 07538-299004

Website : www.ambahpgcollege.org | E-mail : principalpgcollegeambah@gmail.com

संचालनकारी समिति-शिक्षा समिति परगना, अम्बाह (रजि.नं. 28/1952)

अध्यक्ष–श्री अशोक कुमार जैन

मन्त्री–डॉ. नारायण हरी शर्मा

महाविद्यालय शासी निकाय के पूर्व अध्यक्ष

स्व. पं. रामनिवास शर्मा

स्व. श्री रामरज शर्मा "पंकिल"

स्व. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा "दाऊ"

महाविद्यालय शासी निकाय

1.	डॉ. ओ.पी. शुक्ला	–	अध्यक्ष
2.	श्री राजकुमार व्यास	–	सदस्य
3.	श्री गुणाकर शर्मा (एडवोकेट)	–	सदस्य
4.	श्री प्रवीण कुमार शर्मा (एडवोकेट)	–	सदस्य
5.	डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा	–	सदस्य
6.	श्री संजय शर्मा (उद्योगपति)	–	सदस्य
7.	प्राचार्य, अग्रणी कन्या महाविद्यालय, मुरैना	–	शासन प्रतिनिधि
8.	प्रो. रेखा भदौरिया	–	यू.जी.सी. प्रतिनिधि
9.	प्रो. राधा तोमर	–	जीवाजी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
10.	डॉ. व्ही. के. जैन	–	शिक्षक प्रतिनिधि
11.	डॉ. दिनेश रावत	–	शिक्षक प्रतिनिधि
12.	श्री विश्वास मेढेकर	–	पदेन सचिव (प्राचार्य)

मान्यता सम्बन्धी जानकारी

ऑटोनोमस मान्यता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देहली No. F.22-1/2017(AC) Date 30 May 2018
स्थाई मान्यता	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक Admn. Affi. 19 Part-1/7044
B.A./B.Sc.	दिनांक 20 जुलाई 1966/21 जुलाई 1966
M.A. Geography	क्रमांक 32(2)ए-4/77/554 दिनांक 31-1-1969
Hindi Economics & M.Sc.-Chemistry	
P.G.D.C.A.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/सम्बद्धता/2002/196
M.Sc. (Zoology) & B.Com.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/सम्बद्धता/2004/786 दिनांक 06.05.04 म.प्र. शासन का अनुमति पत्र क्रमांक 4045/आउशि/शा-13/सम्बद्धता/03 दिांक 14.08.03
M.Sc. (Maths)	जी.वि.वि. का पत्र क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2011/3958 दिनांक 21.10.11
B.Sc. Micro Biology	म.प्र. शासन पत्र क्रमांक 225/574/आउशि/सम्बद्धता/10 दिनांक 30.06.10

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना) म.प्र.

(जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध - स्वशासी महाविद्यालय)

(नैक द्वारा प्रत्यायित 'B' ग्रेड)

महाविद्यालय का ध्येय/लक्ष्य कथन
(Mission Statement)
''सा विद्या या विमुक्तये''
लक्ष्य
लोक कल्याण

1. अम्बाह नगर व उसके सेवा क्षेत्र के निवासियों को स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करना।
2. शिक्षा के साथ ही संस्कारवान, अनुशासित और राष्ट्रीयता की भावना से ओत–प्रोत युवा पीढ़ी को तैयार करना।
3. दस्यु समस्या से ग्रसित रही चम्बल घाटी में एक आदर्श शिक्षा केन्द्र स्थापित कर, जन समुदाय के मानसिक स्तर को सामाजिक सरोकार के साथ सकारात्मक दिशा प्रदान करना।
4. आर्थिक विकास के साथ हो रहे भौतिक परिवर्तन को आत्मसात करने हेतु विद्यार्थियों को शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से सक्षम बनाना।
5. व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर युवाओं में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना तथा पर्यावरण सुधार, समाजार्थिक प्रगति एवं राष्ट्र उत्थान हेतु जन जागृति लाना।

महाविद्यालय : एक परिचय

चम्बल घाटी के सांस्कृतिक विकास का एक प्रतिष्ठित केन्द्र, अम्बाह महाविद्यालय 9 मार्च 1959 को स्थापित होकर विकास के अनेक सोपानों को पार करता हुआ आज इस क्षेत्र की प्रगति का पर्याय बन चुका है। स्नातक स्तर पर 9 विद्यार्थियों से शिक्षण सेवा का संकल्प प्रारम्भ कर अब 1000 से अधिक विद्यार्थियों का शिक्षण सात विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध सुविधाओं तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन इसके गौरवमयी इतिहास एवं उज्जवल भविष्य के परिचायक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल तथा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा इसे एक स्वशासी महाविद्यालय मान्य किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् की मूल्यांकन समिति ने इसे तीन बार **'बी ग्रेड'** प्रत्यायित कर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की है। एन.सी.सी., एन.एस.एस. रेडक्रास, विभागीय परिषद, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभिन्न मंच, शिक्षणेत्तर क्रिया–कलापों की दिशा में क्षेत्र एवं प्रदेश की सीमा लांघ कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं। महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त अनेक विद्यार्थी राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

विद्यार्थियों में अनुशासन, परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता, प्रांगण की स्वच्छता एवं जीवंतता, स्वस्थ पर्यावरण, शिक्षक–विद्यार्थियों के बीच सौहार्द, भेद रहित वातावरण, अध्ययन–अध्यापन की सुचारूता, महाविद्यालय के ध्येय वाक्य की तरह विद्यार्थी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दिनचर्या के अंग बन चुके हैं। महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने तथा उनके उन्नयन हेतु एक विशेष कल्याण प्रकोष्ठ कार्यरत है। विद्यार्थियों के सतत् मार्गदर्शन, रोजगार, जागरूकता, उद्यमिता विकास हेतु भी महाविद्यालय प्रकोष्ठ स्थापित है। CCTV कैमरों से युक्त महाविद्यालय परिसर पूर्णतः सुरक्षित है तथा छात्र–छात्राओं के सह अध्ययन का एक आदर्श प्रतिष्ठित केन्द्र है।

प्रवेश आवेदन एवं पात्रता

वर्तमान समय में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश क्रिया के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवेदन एवं पात्रता का निर्धारण भी म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत (2024–25) के अनुसार ही होगा।

अतः इसी उद्देश्य से शासन की मार्ग दर्शिता को इस प्रवेश विवरणिका में आगे प्रकाशित किया गया है प्रवेशार्थी शासन के नियमों का भली भांति अवलोकन करें।

आवश्यक सूचनाएँ

1. वर्तमान में महाविद्यालय में समस्त स्नातकोत्तर कक्षाएँ सेमेस्टर पद्धति से संचालित हैं।
2. आवेदकों एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि प्रवेश विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। प्रवेशार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं जमा करें।
3. विद्यार्थी प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करके मूल–प्रवेश–रसीद प्राप्त करें एवं उसे सुरक्षित रखें।
4. प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अंकसूचियों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें। प्रवेश के समय इन्हें सत्यापित करवायें। संलग्न प्रमाण–पत्रों के आधार पर ही प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा।
5. प्रवेश सम्बन्धी समस्त नियम एवं सूचनाएँ समय–समय पर महाविद्यालय के सूचना पटल/बेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।
6. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
7. जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर/प्रशासनिक अथवा कार्यालयीन त्रुटिवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल जाता है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा। ऐसी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा।
8. प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के **स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेम. में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।**
9. रेगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान भी होगा।

नोट – प्रवेश पात्रता एवं परीक्षा प्रणाली के संबंध में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश प्रवेशार्थियों/परीक्षार्थियों पर लागू होंगे।

प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान :

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के लिए अधिकतम निर्धारित स्थान इस प्रकार हैं –

(अ) स्नातकोत्तर स्तर –

विषय	निर्धारित स्थान
भूगोल	60
अर्थशास्त्र	60
हिन्दी	60
रसायन शास्त्र	30
जन्तु विज्ञान	30
गणित	30
पी.जी.डी.सी.ए.	120 (स्ववित्तीय)

(ब) स्नातक स्तर :–

बी.ए. (प्रथम वर्ष)	600		(विषयवार सीट संख्या उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल पर देखें)
बी.एस.सी. (प्रथम वर्ष)			
1- B.Sc. - Bot. Chem., Microbio	10	240	
2- B.Sc. - Zool. Chem., Microbio	10		
3- B.Sc. - Bot., Chem., Zoology	220		
4- B.Sc. - Che., Math., Physics	90	120	
5- B.Sc. - Comp. Appl., Math., Physics	30		
बी.कॉम. (प्रथम वर्ष)			

स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति में संकायवार विषय समूह इस प्रकार रहेंगे (शासन द्वारा परिवर्तन होने पर परिवर्तन यथावत मान्य किए जायेंगे)

(अ) आधार पाठ्यक्रम – अनिवार्य विषय
(ब) निम्न विषय समूहों में से को तीन–विषय

कला संकाय (बी.ए.)

1. अंग्रेजी साहित्य / संस्कृत / हिन्दी साहित्य
2. इतिहास / अर्थशास्त्र
3. समाजशास्त्र
4. भूगोल / राजनीतिशास्त्र

विज्ञान संकाय (बी.एससी.)

1. रसायनशास्त्र / कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. गणित / जन्तु विज्ञान
3. भौतिक शास्त्र / वनस्पतिशास्त्र
4. माइक्रोबॉयोलॉजी

नोट– 1. माइक्रोबॉयोलॉजी के साथ जन्तुविज्ञान अथवा वनस्पतिविज्ञान लिया जा सकता है।

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)

1. एकाउंट ग्रुप
2. मैनेजमेंट ग्रुप
3. एप्लाइड इकोनोमिक्स

नोट– विषयों / विषय समूह का चयन NEP2020 के अनुसार होगा।
आरक्षण–मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नियत तिथि से प्रारम्भ होगी। म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया अनुसार शुल्क जमा करना होगा।
2. प्रवेश आवेदन–पत्र की जांच हेतु प्रवेश विवरणिका में समितियों के नाम प्रकाशित हैं। प्रवेशार्थी सम्बन्धित समिति से आवेदन जाँच करायें।
3. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक से आवेदन करना होगा।
4. निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा गुणानुक्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
5. प्रवेश सम्बन्धी म.प्र. शासन / महाविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश समितियाँ

	कक्षा	प्रवेश समिति	स्थान
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	1. डॉ. दिनेश रावत 2. डॉ. (श्रीमती) मंजू तोमर	भूगोल विभाग
2.	बी.ए. द्वितीय वर्ष	1. डॉ. कमल भारद्वाज 2. डॉ. मनोज कुमार शर्मा	अर्थशास्त्र विभाग
3.	बी.ए. तृतीय वर्ष	1. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर 2. डॉ. (श्रीमती) रक्षा कम्ठान	भूगोल विभाग
4.	बी.एससी. प्रथम वर्ष (जीवविज्ञान समूह)	1. डॉ. व्ही.के. जैन 2. डॉ. रामकिशोर उपाध्याय	रसायन विभाग
5.	बी.एससी. प्रथम वर्ष (गणित समूह)	1. डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय 2. डॉ. रमाकांत शर्मा	भौतिक विज्ञान
6.	बी.एससी. द्वितीय वर्ष	1. श्री डी.के. शर्मा (बायो ग्रुप)	जन्तु विज्ञान विभाग
7.	बी.एससी. तृतीय वर्ष	1. श्री एस.ए. गौरी (गणित समूह) 2. श्री मुकेश श्रीवास	कम्प्यूटर विभाग
8.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	1. डॉ. बी.एम. बंसल	कॉमर्स विभाग
9.	बी.कॉम. द्वितीय वर्ष एवं बी.कॉम. तृतीय वर्ष	1. डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय	कक्ष क्र. 21
10.	पी.जी.डी.सी.ए. / कम्प्यूटर	1. श्री दिवाकर शर्मा 2. श्री एस.ए. गौरी	कम्प्यूटर विभाग
11.	एम.ए. भूगोल प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. दिनेश रावत 2. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	भूगोल विभाग
12.	एम.ए. अर्थशास्त्र प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. कमल भारद्वाज 2. डॉ. मनोज कुमार शर्मा	अर्थशास्त्र विभाग
13.	एम.ए. हिन्दी प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. शशि वल्लभ शर्मा 2. डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	हिन्दी विभाग
14.	एम.एससी. रसायन प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. व्ही.के. जैन 2. श्री मुकेश श्रीवास	रसायन विभाग
15.	एम.एससी. जन्तुविज्ञान प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. श्री डी. के. शर्मा	जन्तुविज्ञान विभाग
16.	एम.एससी. गणित प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. श्री व्ही. मेढेकर	गणित विभाग

शैक्षणिक कैलेण्डर

महाविद्यालय में शैक्षणिक कैलेण्डर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों व निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जायेगा।

प्रवेश निरस्तीकरण

निम्न दशाओं में विद्यार्थी को महाविद्यालय में दिया गया प्रवेश निरस्त किया जा सकता है –

1. पूरक परीक्षा अथवा ए.टी.के.टी. प्राप्त ऐसे विद्याथ्री जिनको प्रावधिक प्रवेश (Perovisional Admission) अगली कक्षा में दिया गया था। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने/परीक्षा में सम्मिलित न होने की दशा में/ए.टी.के.टी./पूरक नियमों के अधीन पात्रता न होने के दशा में।
2. इस महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में भी संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने पर।
3. शिक्षणेत्तर संगठनों एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रास तथा स्नातकोत्तर परिषदों में नियमानुसार पंजीयन न कराने, इनके कार्यक्रमों में भाग न लेने व नियमों का पालन न करने पर।
4. विभिन्न विषयों की कक्षाओं में अथवा संबंधित संगठन के कार्यकलापों में अथवा दोनों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर।
5. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय आदि के शुल्क का यथा समय भुगतान न करने पर।
6. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित परीक्षाओं अथवा अन्य कार्यक्रमों का बहिष्कार करने पर।
7. महाविद्यालय आचार संहिता का पालन न करने पर प्रवेश निरस्तीकरण एवं निष्कासन (एक अथवा दोनों स्थिति अनुसार) किये जा सकेंगे।
8. बिना अनुमति के अकारण लम्बी अवधि तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरास्त किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की आचार संहिता

1. **ड्रेस कोड** – महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए गणवेश (यूनीफार्म) निर्धारित है। जिसका पालन नियमित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। छात्रों के लिए–**सफेद शर्ट, काला पेन्ट व काले जूते।** छात्राओं के लिए–**नेवी ब्लू कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा एवं काली जूती अथवा सफेद शर्ट व काला पेन्ट व काले जूते।**
2. प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी एवं सम्बन्धित संगठनों के नियमों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं अभिवृद्धि में प्रत्येक विद्यार्थी यथाशक्ति सहयोग करेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है।
5. प्रत्येक विद्यार्थी शिष्ट, जनोचित व्यवहार करेगा, अशिष्ट व्यवहार वर्ज्य एवं दण्डनीय है।
6. विद्यार्थियों से सरल, निर्व्यसन, मितव्ययी एवं सात्विक जीवन अपेक्षित है। मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जनीय है।
7. विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी का शोषण व उत्पीड़न किसी प्रकार नहीं करेगा। रेगिंग पूर्णतः वर्जित है।
8. समस्या निराकरण के लिए आन्दोलन, हिंसा तथा आतंक का प्रयोग अवैधानिक एवं अनुचित माना जायेगा।
9. विद्यार्थी आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल आचरण करेगा। समस्याओं के समाधान के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं का सहारा नहीं लेगा तथा सक्रिय राजनीति से दूर रहेगा।
10. महाविद्यालय की शांति, सुव्यवस्था, स्वच्छता, सज्जा एवं परिसर को हरित बनाने में विद्यार्थी सहयोग देगा। अनुशासनहीन, उद्दण्ड एवं आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले छात्र/छात्राओं की गोपनीय सूचना अनुशासन समिति को देकर प्रशासन को सहयोग करेगा।
11. राष्ट्रीय पर्वों/उत्सवों के आयोजन में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

संस्था के प्रति विद्यार्थियों की जवाबदेही

1. महाविद्यालय प्रांगण को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
2. महाविद्यालय में लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहें तथा सम्बन्धित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करें।
3. संस्था के नियम/अधिनियम, कार्यक्रमों एवं प्रवेश–नीति आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी रखें।
4. संस्था की पढ़ाई संबंधी व्यूह रचना व मूल्यांकन विधियों को समझें।
5. संस्था के नियम, अधिनियम एवं निर्धारित समय–सारणी का पालन करें। कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की वैधानिक बाध्यता का पालन सुनिश्चित करें।
6. संस्था में उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं एवं सहायक सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें।
7. CCE परीक्षाओं एवं मुख्य परीक्षा हेतु निरन्तर तैयारी करें तथा समय सीमा में कार्यपूर्ण कर प्रस्तुत करें।
8. महाविद्यालयीन व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं उपादेय बनाने हेतु लिखित सुझाव सम्बन्धित प्रभारी के माध्यम से प्राचार्य को दें।
9. संस्था के आदर्श का स्वयं को प्रतिरूप मानकर व्यवहार करें। संस्था के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति सम्मान का भाव रखें तथा कार्य एवं व्यवहार में भी इसे अभिव्यक्त करें।
10. अपने सभी साथियों के साथ धर्म, जाति वर्ग का भेद न करते हुए समानता का व्यवहार करें।
11. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये परिचय–पत्र को अपने गले में डालकर ही रखें। महाविद्यालय की प्रत्येक गतिविधि एवं सुविधा का लाभ बिना परिचय–पत्र के प्राप्त नहीं होगा।
12. **रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।**

यह महाविद्यालय, म.प्र. भोज (म.प्र.) वि.वि. भोपाल का मान्य अध्ययन केन्द्र है। इसके अन्तर्गत बी.ए., बी. एससी., एम.ए., एम.एससी. की परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। महाविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र रहा है। विस्तृत जानकारी डॉ. बी.एम. बंसल से प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षणेत्तर संगठनों की सदस्यता :–

प्रवेशार्थी किसी एक शिक्षणेत्तर संगठन एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेडक्रॉस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता हेतु अपना आवेदन देगा। परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर संगठन की सदस्यता सुनिश्चित की जायेगी। स्नातकोत्तरी विद्यार्थी, विभागीय परिषद के अनिवार्य सदस्य होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक शिक्षणेत्तर संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है। **NCC और NSS में से एक संगठन के ही नियमित सदस्य बन सकेंगे।**

खेल–कूद

महाविद्यालय में खेलकूद की नियमित व्यवस्था है। महाविद्यालय में व्हालीबॉल, कबड्डी, बॉस्केट बॉल, बेडमिन्टन, एथेलेटिक्स, खो–खो, टेबिल टेनिस और हैण्डबॉल के उपयुक्त खेल मैदान है। जिनमें खेल विशेषज्ञों द्वारा खेल प्रशिक्षण दिया जाता हे। महाविद्यालय में क्रिकेट खेल की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। महाविद्यालय से प्रतिवर्ष खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति

1. प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न विषयों एवं सम्बन्धित संगठनों की क्रियाकलापों में उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए। म.प्र.वि.वि. अधिनियम 1973 अध्यादेश क्र. 6 के अनुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे।
2. महाविद्यालय के विभिन्न आयोजनों (वार्षिक स्नेह सम्मेलन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि) में उपस्थित रहने पर विद्यार्थी को नियमानुसार उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा।

2. विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति सूचना वर्ष में दो बार सितम्बर/अक्टूबर एवं मार्च/अप्रैल में सूचना पटल पर प्रकाशित की जाती है। उपस्थिति सूचना प्राप्त करना विद्यार्थी का निजी दायित्व है।
3. महाविद्यालय अथवा विभिन्न संगठनों द्वारा विद्यार्थी को बाहर भेजे जाने पर इसकी विधिवत अनुमति तथा प्रमाण–पत्र होने पर इस अवधि की उपस्थिति का लाभ सम्बन्धित को दिया जायेगा। इसके लिए विद्यार्थी को सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से आवेदन द्वारा मांग करनी होगी।

शोध केन्द्र

महाविद्यालय में निम्न विषयों में शोध की व्यवस्था है –

(क) कला संकाय
- (1) अर्थशास्त्र
- (2) भूगोल
- (3) हिन्दी

(ख) विज्ञान संकाय
- (1) रसायन विज्ञान

(ग) शोध हेतु प्रवेश नियम

1. पी–एच.डी. की उपाधि के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित शोधार्थियों को महाविद्यालय शोध केन्द्र पर अधिकतम चार वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। शोधार्थी को शोध केन्द्र पर नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
2. विश्वविद्यालय से स्वीकृति के बाद प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य होगा।
3. शोधार्थी की प्रतिदिन की उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक ही रखेंगे। प्रत्येक छः माह में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. शोध प्रबंध के अग्रेषण के पूर्व शोधार्थी को अपने शोध निर्देशक से सत्यापित एवं अग्रेषित पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं सम्बन्धित विभाग का अनादेय प्रमाण–पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
5. अध्ययन–अवकाश पर शोध कर रहे शिक्षक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र और तीन माह में शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा ऐसे शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
6. शोधार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही शोध कार्य सम्पादित कर सकेंगे।

परीक्षाएँ

1. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है। परीक्षाओं का बहिष्कार आचार संहिता का उल्लंघन है तथा बहिष्कृत प्रश्न–पत्र की परीक्षा पुनः नहीं होगी।
2. परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। **अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही म.प्र. परीक्षा एक्ट के तहत करने का प्रावधान है। इसी प्रकार की कार्यवाही जीवाजी विश्वविद्यालय के रेगु.क्र. 10 तथा 11 के अन्तर्गत करने का प्रावधान है।**

नोट :–

1. स्नातकोत्तर परिषदों का सदस्यता शुल्क सम्बंधित विभागों में जमा किया जाता है।
2. प्रतिभूति राशि महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात 2 वर्ष के अन्दर ही वापिस की जाती है।
3. विश्वविद्यालय नामांकन कराना विद्यार्थी का उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय नामांकन प्रक्रिया म.प्र. शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ण की जायेगी।

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)

वार्षिक शुल्क सत्र 2024-25

प्रवेश के समय सत्र में केवल एक बार देय है।

स.क्र.	मद	रुपये
1	विश्वविद्यालय क्रीडा शुल्क	120
2	महाविद्यालय क्रीडा शुल्क	200
3	प्रवेश शुल्क	100
4	महाविद्यालय छात्र समिति	75
5	विश्वविद्यालय छात्र समिति	2
6	पत्रिका शुल्क	150
7	परिचय–पत्र शुल्क	60
8	चिकित्सा शुल्क	20
9	रेडक्रास शुल्क	25
10	विकास शुल्क (फर्नीचर, जल, विद्युत एवं रखरखाव आदि)	250
11	विश्वविद्यालय स्वायत्तता/सम्बद्धता/निरन्तरता शुल्क	225
12	विश्वविद्यालय कल्याण शुल्क	30
13	पंजीयन शुल्क	500
	योग शुल्क	**1757**

अम्बाह स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)

वार्षिक शुल्क विवरण 2024-2025

प्रथम वर्ष

S.No.	Course Code	VERIFIED Course	Subject Combinations	शिक्षण शुल्क	विज्ञान शुल्क	प्रायोगिक / विभागीय विकास फण्ड	अंकेक्षण शुल्क	वेतन-भत्ता संदाय शुल्क	वाचनालय / पुस्तकालय	विद्युत बिल / डीजल तथा विद्युत उपकरण रख-रखाव	नेटवर्क रिसोर्स सेंटर संचालन	स्वच्छता एवं पर्यावरण विकास	वार्षिक शुल्क (वर्ष में केवल एक बार वसूल की जाती है)	सेल्फ फाइनेंस फीस	गतिविधि शुल्क (एन.ई.पी.)	कॉशन मनी	योग फीस प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	C028	B. A.	B. A.	96	0	500	100	2750	140	300	80	100	1757	0	480	300	6603
2	C032	B.Com.	Commerce	96	0	500	100	3650	140	300	80	100	1757	0	480	300	7503
3	C080	B.Sc.	Botany - Chemistry - Microbiology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4000	480	300	12343
4	C085	B.Sc.	Botony - Chemistry - Zoology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	0	480	300	8343
5	C116	B.Sc.	Chemistry - Mathematics - Physics	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	0	480	300	8343
6	C118	B.Sc.	Chemistry - Microbiology - Zoology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4000	480	300	12343
7	C129	B.Sc.	Computer Application - Mathematics - Physics	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4800	480	300	13143
8	C005	M. A.	Economics / Hindi	144	0	1000	100	1890	260	300	80	100	1757	0	480	500	6611
9	C007	M. A.	Geography	144	0	1200	100	2950	260	300	80	100	1757	0	480	500	7871
10	C044	M.Sc.	Chemistry	144	100	1200	100	3690	260	300	80	100	1757	0	480	500	8711
11	C050	M.Sc.	Mathematics	144	0	1200	100	3550	260	300	80	100	1757	6000	480	500	14471
12	C056	M.Sc.	Zoology	144	100	1200	100	3690	260	300	80	100	1757	0	480	500	8711
13	C034	PGDCA	PGDCA	144	100	1200	100	3090	260	300	80	100	1757	8000	480	500	16111

नोट – 1. प्रथम वर्ष कॉशनमनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थी से ली जावेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल बाहर से आने वाले विद्यार्थी से ही ली जावेगी।
2. प्रथम वर्ष में प्रवेशित बाहय राज्य, सी.बी.एस.सी. एवं अन्य बोर्ड के स्नातमक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को नामांकन शुल्क रु. 200/– ली जायेगी।
3. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयीन नियमानुसार देय होगी।
4. सी.सी.ई. शुल्क पृथक से देय होगी।
5. शोध शुल्क विश्वविद्यालय नियमानुसार लिया जायेगा।

अम्बाह स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)
वार्षिक शुल्क विवरण 2024-2025
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

S.No.	Course Code	VERIFIED Course	Subject Combinations	शिक्षण शुल्क	विज्ञान शुल्क	प्रायोगिक / विभागीय विकास फण्ड	अंकेक्षण शुल्क	वेतन–भत्ता संदाय शुल्क	वाचनालय / पुस्तकालय	विद्युत बिल / डीजल तथा विद्युत उपकरण रख–रखाव	नेटवर्क रिसोर्स सेंटर संचालन	स्वच्छता एवं पर्यावरण विकास	वार्षिक शुल्क (वर्ष में केवल एक बार वसूल की जाती है)	सेल्फ फाइनेंस फीस	गतिविधि शुल्क (एन.ई.पी.)	योग फीस प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C028	B. A.	B. A.	96	0	500	100	2750	140	300	80	100	1757	0	480	6303
2	C032	B.Com.	Commerce	96	0	500	100	3650	140	300	80	100	1757	0	480	7203
3	C080	B.Sc.	Botany - Chemistry - Microbiology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4000	480	12043
4	C085	B.Sc.	Botany - Chemistry - Zoology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	0	480	8043
5	C116	B.Sc.	Chemistry - Mathematics - Physics	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	0	480	8043
6	C118	B.Sc.	Chemistry - Microbiology - Zoology	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4000	480	12043
7	C129	B.Sc.	Computer Application - Mathematics - Physics	96	100	1000	100	3890	140	300	80	100	1757	4800	480	12843
8	C005	M. A.	Economics / Hindi	144	0	1000	100	1890	260	300	80	100	1757	0	480	6111
9	C007	M. A.	Geography	144	0	1200	100	2950	260	300	80	100	1757	0	480	7371
10	C044	M.Sc.	Chemistry	144	100	1200	100	3690	260	300	80	100	1757	0	480	8211
11	C050	M.Sc.	Mathematics	144	0	1200	100	3550	260	300	80	100	1757	6000	480	13971
12	C056	M.Sc.	Zoology	144	100	1200	100	3690	260	300	80	100	1757	0	480	8211

नोट – 1. प्रथम वर्ष कॉशनमनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थी से ली जावेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल बाहर से आने वाले विद्यार्थी से ही ली जावेगी।
2. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयीन नियमानुसार देय होगी।
3. सी.सी.ई. शुल्क पृथक से देय होगी।
4. शोध शुल्क विश्वविद्यालय नियमानुसार लिया जायेगा।

परीक्षा शुल्क विवरण

(1) सी.सी.ई. परीक्षा शुल्क–प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक में 180/– पृथक से देय होगा।

(2) मुख्य परीक्षा/ATKT/पूरक शुल्क जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अनुसार एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित देय होगा।

(3) प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर पुनः परीक्षा के लिये शुल्क नियमानुसार देय होगा।

नोट–परीक्षा शुल्क संबंधी विस्तृत जानकारी की सूचना परीक्षा की तिथियों की घोषणा के पूर्व कर दी जायेगी।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में सुसज्जित, सम्पन्न एवं विशाल पुस्तकालय है। वर्तमान में 45000 से भी अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में है। पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी के दैनिक समाचार–पत्र तथा साप्ताहिक/मासिक पत्रिकाऐं पाठन हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

पुस्तकालय के दो प्रभाग हैं–

(1) केन्द्रीय पुस्तकालय एवं वाचनालय

(2) स्नातकोत्तर विभागीय पुस्तकालय

विद्यार्थी खाली समय का सदुपयोग वाचनालय में करें। पुस्तकें एवं ज्ञानोपयोगी सामग्री प्राप्त करने हेतु नियमावली का अवलोकन पुस्तकालय सूचना–पटल पर करें–

परिचय-पत्र (IDENTITY CARD)

(1) बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

(2) परिचय–पत्र खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की दशा में नोटरी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर, प्राचार्य की अनुमति से रु. 50/– जमा करके डुप्लीकेट परिचय–पत्र प्राप्त करें।

महाविद्यालय प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति

(1) महाविद्यालय त्याज्य प्रमाण–पत्र (टी.सी.) नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। टी.सी. खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में शपथ–पत्र के साथ रु. 50/– जमा करने पर द्वितीय प्रति दी जा सकेगी। सत्र के मध्य में केवल पिता/संरक्षक के स्थानांतरण होने की दशा में ही प्रमाण–पत्र दिया जा सकेगा।

(2) **महाविद्यालय त्याज्य प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र, प्रार्थना–पत्र प्राप्ति की तिथि से तीन दिन बाद जारी किये जा सकेंगे।** जिनका शुल्क क्रमशः 50/– तथा 50/– रु. होगा। टी.सी. एवं सी.सी. तत्काल प्राप्त करने हेतु 50/– रुपये का शुल्क आवेदन–पत्र के साथ जमा करना होगा। कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे तक उसी दिन तत्काल शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही सायंकाल 5.00 बजे टी.सी./सी.सी. प्रदान की जायेगी। समयावधि के पश्चात प्राप्त तत्काल प्रमाण–पत्र संबंधी आवेदनों पर टी.सी./सी.सी. अगले कार्य दिवस में ही प्राप्त हो सकेगी।

(3) टी.सी./सी.सी. को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र का शुल्क 20/– रुपये प्रति प्रमाण–पत्र होगा।

(4) अंकसूची का सत्यापन शुल्क 200/– रु. है।

पुरस्कार एवं पदक :

महाविद्यालय द्वारा अनुशासित, चरित्रवान, प्रतिभा सम्पन्न एवं निष्ठावान विद्यार्थियों को निम्नांकित आधार पर पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये जाते हैं।

(1) एन.सी.सी. में सर्वोत्तम छात्र कैडिट घोषित होने पर।

(2) एन.एस.एस. में आदर्श स्वयं सेवक/सेविका घोषित होने पर।

(3) महाविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने पर।

निम्नांकित पदक विशेष प्रोयोजकों द्वारा प्रदान किये जाते हैं–

(4) एम.ए., एम.एससी. प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर **स्व. श्री अमर सिंह भदौरिया** स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।

(5) स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त कॉमर्स की छात्रा को **स्व. सेठ प्रभुदयाल अग्रवाल** स्मृति स्वर्ण पदक।

(6) एम.ए. पू. भूगोल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर **स्व. श्रीमती शकुन्तला देवी** स्मृति पदक।

(7) **स्व. श्रीमती रत्ना देवी/स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल** स्मृति स्वर्ण पदक बी.ए. में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को।

(8) **स्व. सेठ प्रभुदयाल अग्रवाल एवं स्व. श्रीमती कलावती अग्रवाल** स्मृति छात्रवृत्ति (निर्धन छात्राओं के लिये)

(9) अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को सर्वोत्तम अकादमिक प्रदर्शन करने पर अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार।

(10) स्नातकोत्तर हिन्दी में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा NET/JRF उत्तीर्ण करने पर स्व. विजय कुमार अग्रवाल स्मृति पुरस्कार।

नोट–

(1) छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी समय–समय पर कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से प्राप्त करते रहें।

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अ.नु.जा./अनु.ज.जा./पि.वर्ग के विद्यार्थियों को शासन के नियमानुसार दी जाती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अनु.जाति/पि.वर्ग)

(3) अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

महाविद्यालय के नियमित पात्र–विद्यार्थियों को शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके लिए प्रभारी प्राध्यापक अथवा समिति के सदस्य से विद्यार्थी सम्पर्क करें।

विशेष :

भारत शासन/म.प्र. शासन से प्राप्त होने वाली अन्य छात्रवृत्तियों से संबंधित सूचना श्री अजीत जैन (कार्यालय) से प्राप्त करें।

अम्बाह स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, अम्बाह

2024-25

1. अनुशासन समिति (PROCTORIAL BOARD)

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखने हेतु महाविद्यालय में अनुशासन समिति कार्यरत है। आचार संहिता का उल्लंघन करने, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने एवं रेगिंग के आरोप में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को है। यह समिति छात्र कल्याण समिति के रूप में भी कार्य करती है।

1.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	चीफ प्रॉक्टर
2.	डॉ. श्रीमती मंजू तोमर	प्रॉक्टर
3.	डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय	प्रॉक्टर
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर	सदस्य
5.	डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	सदस्य
6.	डॉ. पंकज सिंह	सदस्य

2. एन.सी.सी. सीनियर डिवीजन/विंग

जिन छात्रों ने गत वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें 2024–25 में एन.सी.सी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। शेष स्थानों की पूर्ति प्रथम वर्ष के छात्रों में से नियमानुसार की जायेगी। एन.सी.सी. में निर्धारित संख्या 213 (छात्र) 106 (छात्रा) कैडिट हैं, वर्तमान में इस संगठन से संबंधित तीन ए.एन.ओ. हैं।

1. मेजर मनोज कुमार शर्मा
2. लेफ्टिनेंट मंजू तोमर
3. डॉ. पंकज सिंह (केयर टेकर)

महाविद्यालय के कैडेट विगत वर्षों में आर.डी.सी. परेड एवं थल सेना कैम्प नई दिल्ली में भाग लेते रहे हैं तथा देश, प्रदेश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतते रहे हैं।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

गत सत्र में पंजीकृत छात्र–छात्राओं को बी–प्रमाण–पत्र हेतु इस वर्ष पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शेष स्थानों की पूर्ति प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में से की जावेगी। इसके अधिकारी निम्नांकित हैं–

1.	रिक्त	कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. (छात्र)
2.	डॉ. रक्षा कम्ठान	कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. 2 (छात्रा)
3.	डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. 3 (छात्रा)

महाविद्यालय के स्वयंसेवक विगत वर्षों में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत हुए हैं।

4. रेडक्रास (Redcross)

1.	श्री मुकेश श्रीवास	प्रभारी
2.	श्री शमीम अहमद गौरी	सदस्य
3.	डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	सदस्य
4.	श्री रामनरेश शर्मा	सदस्य

महाविद्यालय की रेडक्रॉस इकाई ने विकलांग सेवा एवं रक्तदान में विशेष ख्याति अर्जित की है।

1 जुलाई 2024 से प्रभावशील समितियाँ 2024-25

1.	महिला उत्पीड़न निरोधक समिति	– **डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल**	**प्रभारी**
		डॉ. श्रीमती रक्षा कम्ठान	सदस्य
2.	एन्टी रैगिंग समिति	– **डॉ. मनोज कुमार शर्मा**	**प्रभारी**
3.	समय–सारिणी समिति	– **डॉ. कमल भारद्वाज**	**प्रभारी**
		डॉ. व्ही.के. जैन	सदस्य
		डॉ. दिनेश रावत	सदस्य
		डॉ. ब्रजमोहन बंसल	सदस्य
4.	प्रवेशोत्सव	– **डॉ. कमल भारद्वाज**	**प्रभारी**
5.	परिचय पत्र लेख समिति	– **डॉ. (श्रीमती) रक्षा कम्ठान**	**प्रभारी**
6.	युवा उत्सव कार्यक्रम	– **डॉ. शशिवल्लभ शर्मा**	**प्रभारी**
7.	क्रीड़ा समिति	– **श्री व्ही. एस. गुर्जर**	**प्रभारी**
8.	अभिलेख प्रमाणीकरण समिति	– **डॉ. (श्रीमती) मंजू तोमर**	**प्रभारी**
9.	सूचना का अधिकार समिति	– **श्री व्ही. मेढेकर**	**लोक सूचना अधिकारी**
10.	पुस्तकालय समिति	– **डॉ. आनंद देशपांडे**	**प्रभारी**
11.	छात्र संघ निर्वाचन एवं परामर्श मंडल	– **डॉ. कमल भारद्वाज**	**प्रभारी**
12.	भूतपूर्व विद्यार्थी परिषद	– **श्री मुकेश श्रीवास**	**प्रभारी**
13.	प्रवेश विवरणिका समिति	– **डॉ. मनोज कुमार शर्मा**	**प्रभारी**
14.	वार्षिक पत्रिका प्रकाशन समिति	– **डॉ. शशिवल्लभ शर्मा**	**सम्पादक**
		डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	**सह सम्पादक**
15.	शोध समिति	– **डॉ. राजकुमार सिंह तोमर**	**प्रभारी**
16.	कॉलेज वेवसाइट एवं ऑनलाइन कार्य समिति	– **श्री एस.ए. गौरी**	**प्रभारी**
		श्री अजीत जैन	सदस्य
17.	सोशल मीडिया प्रभारी	– **डॉ. दिनेश रावत**	**प्रभारी**
18.	सी.एम. हेल्पलाइन प्रभारी	– **डॉ. मनोज कुमार शर्मा**	**प्रभारी**

छात्रवृत्तियाँ–

1.	विक्रमादित्य, गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना	– **डॉ. रामकिशोर उपाध्याय**	**प्रभारी**
2.	मुख्यमंत्री मेधावी एवं श्रमिक कल्याण योजना	– **डॉ. रमाकांत शर्मा**	**प्रभारी**
3.	इन्सपायर छात्रवृत्ति एवं सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप	– **डॉ. डी.के. शर्मा**	**प्रभारी**
4.	नेशनल स्कॉलरशिप एवं दिव्यांग छात्रवृत्ति	– **डॉ. राजकुमार सिंह तोमर**	**प्रभारी**
5.	अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति	– **श्री मुकेश श्रीवास**	**प्रभारी**
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	– **डॉ. बी.एम. बंसल**	**प्रभारी**

प्रकोष्ठ-

1.	विद्यार्थी समस्या एवं शिकायत प्रकोष्ठ	– **श्री दिवाकर शर्मा**	**प्रभारी**
		श्री व्ही. एस. गुर्जर	सदस्य
2.	रोजगार नियोजन एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ	– **डॉ. व्ही. के. जैन**	**प्रभारी**
		डॉ. शशिवल्लभ शर्मा	सदस्य
3.	शिक्षक पालक प्रकोष्ठ	– **डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय**	**प्रभारी**
		डॉ. पंकज सिंह	सदस्य
4.	उद्यमिता जाग्रति प्रकोष्ठ	– **डॉ. बी.एम. बंसल**	**प्रभारी**
5.	स्वास्थ्य प्रकोष्ठ	– **डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय**	**प्रभारी**
6.	अंकुर कार्यक्रम	– **डॉ. शशिवल्लभ शर्मा**	**प्रभारी**

व्यवस्था समिति-

7.	पेयजल व्यवस्था समिति	– **डॉ. पंकज सिंह**	**प्रभारी**
		श्री रामनरेश शर्मा	सदस्य
8.	जनरेटर, विद्युत एवं वाहन व्यवस्था समिति	– **डॉ. पंकज सिंह**	**प्रभारी**
		श्री रामनरेश शर्मा	सदस्य
		श्री ब्रज किशोर	सदस्य
9.	स्वच्छता एवं पर्यावरण समिति	– **श्री दिवाकर शर्मा**	**प्रभारी**
		श्री विजय उपाध्याय	सदस्य
10.	जल संरक्षण एवं संवर्धन समिति	– **श्री डी.के. शर्मा**	**प्रभारी**
		श्री उमेश राठौर	सदस्य
11.	कॉमन रुम व्यवस्था समिति	– **डॉ. (श्रीमती) मंजू तोमर**	**प्रभारी**
		श्रीमती आरती गुर्जर	सहप्रभारी
12.	समन्वय समिति	– **श्री व्ही. मेढ़ेकर**	**प्राचार्य**
		डॉ. कमल भारद्वाज	सदस्य
		डॉ. दिनेश रावत	सदस्य
		श्री दिवाकर शर्मा	सदस्य
		श्री बी.एम. बंसल	सदस्य
		डॉ. आनंद देशपाण्डे	सदस्य
13.	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिशेध एवं प्रतितोषण आन्तरिक समिति)	– डॉ. (श्रीमती) मंजू तोमर	पीठासीन अधिकारी
		डॉ. (श्रीमती) पूर्णिमा अग्रवाल	सदस्य
		डॉ. (श्रीमती रक्षा कम्ठान	सदस्य
		श्री अभिषेक कम्ठान, एडवोकेट	सदस्य

स्वशासी परीक्षा मण्डल-

1.	प्राचार्य	– **मुख्य नियंत्रक**
2.	डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	– **नियंत्रक**
3.	श्री दिवाकर शर्मा	– **सहा0 नियंत्रक**
4.	श्री शमीम अहमद गौरी	– **सहा0 नियंत्रक**

स्नातकोत्तरीय परिषदें-

1.	आर्थिक परिषद	– **डॉ. मनोज कुमार शर्मा**	**परामर्शदाता**
2.	चर्मण्वती भूगोल	– **डॉ. राजकुमार सिंह तोमर**	**परामर्शदाता**
3.	हिन्दी भाषा परिषद	– **डॉ. श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल**	**परामर्शदाता**
4.	रसायन परिषद	– **श्री मुकेश श्रीवास**	**परामर्शदाता**
5.	जन्तु विज्ञान परिषद	– **श्री दिनेश शर्मा**	**परामर्शदाता**

महत्वपूर्ण निर्देश

1. **महाविद्यालय में नगद लेन–देन पूर्णतः बंद है।** समस्त देयकों की अदायगी एम.पी.ऑनलाइन/बैंक डी.डी./पी.ओ.एस. मशीन द्वारा ही करनी होगी।
2. किसी भी शुल्क के भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि में संबंधित **दस्तावेज जमा कराना/भुगतान की पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी क्षति के लिए संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. महाविद्यालय में **निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है।**
4. महाविद्यालय परिसर में पौधों को क्षति पहुौचाना, फूल–पत्ती तोड़ना दण्डनीय है।
5. महाविद्यालय में स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। गंदगी करना दण्डनीय है।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 08/04/24

क्रमांक 251/38/सी.सी./24/38 : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2024–25 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न :– प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 252/38/सी.सी./24/38 भोपाल, दिनांक 08/04/24

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुल सचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2024–25

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल–462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर रू. 0755–2551698, 2554763

E-mail: mphe.pravesh@mp.gov.oin

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :– 0755–6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

(सत्र 2024–2025)

1. प्रयुक्ति :–

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी. आई. यहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :–

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान :–

विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :–

4.1 स्नातक स्तर हेतु :–

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रतानिम्नानुसार होगी :–

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/ गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) (जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे– माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय) टीप :– म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंक सूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्रमांक 4.1) का अवलोकन करें)

4.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :–

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आइ. सी.एस.ई./एम.पी. बोर्ड से मुक्त बोर्ड /एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसे ऑनलाईन प्रवेश के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा।

4.1.2 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

4.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

4.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक– माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयोलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जावेगा।

4.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :–

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम./बी.कॉम. (तीन वर्षीय)
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ (तीन वर्षीय)
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) (तीन वर्षीय)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय)
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत (समकक्ष ग्रेड) आवश्यक)

4.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :– मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के

अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5. प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया :–

प्रवेश प्रक्रिया :–

- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2024–25 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2024–25 में दो चरण एवं सी.एल.सी. चरण संचालित किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा।

<u>अपग्रेडेशन प्रक्रिया :–</u>

- प्रथम चरण एवं सी.एल.सी. में आवेदक आवंटित महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही चाहें तो च्वाईस फिलिंग अनुसार अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन सहमति व्यक्त कर सकेंगे।
- सी.एल.सी. के प्रत्येक चरण में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के आधार पर महाविद्यालय स्तर से संचालित की जायेगी।
- प्रथम चरण के समाप्त होने ही जिन आवेदकों ने आवंटन पश्चात भी शुल्क भुगतान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान पर अपग्रेडेशन का विकल्प देने वाले आवेदक को मेरिट अनुसार अपग्रेड किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपग्रेड होने की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जावेगी। आवेदक के अपग्रेड होते ही पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदक के अपग्रेड होने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर गुणानुक्रम के आधार पर अगले पात्र आवेदक को स्वतः ही स्थान आवंटित हो सकेगा। आवेदक को आवंटन पश्चात 03 दिवस शुलक भुगतान करने का अवसर होगा।
- संबंधित महाविद्यालय द्वारा नवीन आवंटित महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क अंतरित किया जायेगा।
- जिन आवेदकों को प्रथम चरण में आवंटन नहीं मिला है वे अपग्रेडेशन में स्वतः ही शामिल होंगे।

5.1 <u>पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :–</u>

5.1.1 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय–समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह–विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।

5.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिक आई.डी. की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक की यूनिक आई.डी. के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए ''/आर'' और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए ''/पी'' का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे – ''/वीयू'' अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिक आई.डी. यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे ''/वीयू/ डी.ए.वि.वि.'' अंकित किया जाएगा।

5.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।

5.1.4 पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे–नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (जन्मप्रमाण पत्र/10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

5.1.5 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्राथमिक प्रदेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।

5.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

5.1.7 <u>पंजीयन शुल्क का भुगतान समय–सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा :–</u>

स.क्र.	चरण	शुल्क	विशेष
1.	प्रथम चरण में पंजीयन	150/–	समस्त छात्रों को निःशुल्क
2.	द्वितीय एवं अन्य सी.एल.सी. चरणों में पंजीयन	150/–	समस्त आवेदकों को
3.	पोर्टल शुल्क	50/–	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए।

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई–सत्यापन होगा।

5.1.8 स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन होने संबंधी प्रावधान :–
यदि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक ऐसा पंजीयन निकटतम हेल्प सेन्टर से निरस्त करवा सकेगा। निरस्तीकरण पश्चात एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क की राशि विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस की जावेगी।

5.1.9 त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक से पंजीयन होने के संबंध में प्रावधान :–
ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पंजीयन कराते समय अनुक्रमांक दर्ज करने पर पूर्व में पंजीकृत का संदेश पोर्टल पर प्रदर्शित हो तो ऐसे आवेदक निकटस्थ हेल्प सेन्टर पर अंकसूची एवं मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्प सेन्टर उपलब्ध कराए गए टैब में अनुक्रमांक दर्ज कर आवेदक की वस्तुस्थिति पता कर सकेंगे। इसके उपरांत पूर्व से पंजीकृत आवेदक को दूरभाष के माध्यम से सूचित कर उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा। तत्पश्चात दोनों आवेदक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पंजीयन निरस्त होने पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस की जावेगी।

5.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :–

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण प्त्रअपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी. में अपने ऑनलाइन आवेदन के अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

5.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

5.3 महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2024–25 की ऑनलाइन ई–प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाईसव फिलिंग) कर सकेंगे।

5.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :–

ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई–सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई–सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) –

(अ) अंक सूची–न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.1 का अवलोकर करें)

(ब) जाति प्रमाण पत्र–(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.2 का अवलोकन करें)

(स) संवर्ग प्रमाण पत्र–(दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.3 का अवलोकन करें)

(द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.4 का अवलोकन करें)

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

5.4.1 अंक सूची संबंधी :–

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी ::–

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा–5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

(अ) ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूव्र के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।

5.4.3 <u>संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :–</u>

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :–

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगतवार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2020–21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2021–22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।

(द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 27 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.5 <u>मूल निवासी संबंधी :–</u>

मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूलनिवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.5 <u>पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :–</u>

(अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाइन सम्पन्न की जावेगी।

(ब) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु सनातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए जए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा।

(स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

5.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :–

(अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आवंटन अनुसार ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी 'सत्यापन पूर्ण' के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।

(ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(स) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

(द) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.5.2 <u>असत्यापित / त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश :–</u>

(अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फार्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अस्पष्ट / अपर्याप्त / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण / असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदन के पंजीकृत मोबाईल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को ''असत्यापित या त्रुटिपूर्ण'' वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। आवेदक पंजीकृत मोबाईल नंबर पर संदेश (एस.एम.एस. एवं ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कैडिडेट स्टेटस से) चेक करते रहें।

(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समग्र सारणी अनुसार आवेदक स्वयं / अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा के स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्ची (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।

(द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

(य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त / अनावश्यक दोहराव / एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए गार्वेज टैब पर प्रेषित करेंगे। जिससे महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लंबित आवेदन न हो।

(र) सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि / विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटिसुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

(ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5.6 <u>प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :–</u>

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण –

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक–पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

(ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण –

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

5.6.1 <u>प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया</u>

(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।

(ब) प्रथम चरण में सभी ई–सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।

(स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

(द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित का भुगतान ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय–सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(य) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में टी+1 दिवस में ऑनलाइन की ट्रांसफर होगा।

5.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :–

5.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उपलब्ध तीन विषयों में से मेजर, माइनर एवं वैकल्पिक विषय का चयन कर सकेंगे। महाविद्यालय में अन्य संकाय संचालित होने की स्थिति में आवेदक को वैकल्पिक विषय के स्थान पर किसी दूसरे संकाय से सामान्य वैकल्पिक विषय के चयन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में संचालित व्यावसायिक विषय मे ंसे एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोजेक्ट/इर्न्टनशिप/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी इमेजमेंट में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

5.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

5.8 ऑनलाइन (प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया

(अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्कॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।

(ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्रापत कर सकेंगी।

(स) सत्र 2024–25 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ऐसी स्थिति में यदि आवेदक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर योजना चयनित करने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा।

(द) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि तथा संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क एकमुश्त ऑनलाइन जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को पात्रतानुसार लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री

जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु समस्त शुल्क दो किश्तों जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड–19 बाल कल्याण योजना तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4 के अनुसार होगी।

(य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई. के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

(र) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होगी।

5.8.1 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :–

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का वाद में भी पंजीयन क्रमांक एवं आई.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

5.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :–

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण – विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही–सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

5.8.3 शैक्षणिक सत्र 2024–25 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश रसीद (Admission Slip), मूल टी.सी. एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

5.9 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :–

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

6. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :–

6.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

6.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

6.3 चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरूद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

6.4 सी.एल.सी. चरण में समय–सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 26.1 से 26.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 26.12 के प्रावधानों के निहित समय–सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेगी।

6.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रवेश प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।

6.6 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।

6.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

6.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय–सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई–सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्र. 5 में उल्लेखित कण्डिका 5.1 से 5.9 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तद्नुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करें।

6.9 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।

6.10 सी.एल.सी. में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

7. <u>प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया –</u>

1. ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2024–25 से प्रदेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
2. आवेदक को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
4. आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।

7.1 निरस्तीकरण पश्चात् शुल्क वापसी प्रक्रिया –

शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक को अपना खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा जिसमें की प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8. रूक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश – ई–प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई–सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश – कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर पाल्या को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश –

10.1. ऑनलाइन चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

10.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन / ई–सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।

10.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर द्वितीय सी.एल. सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोटः– इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।

10.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर / निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100 / – प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :–

मध्यप्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं की समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हाईपरलिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

11.1 <u>मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMYY) योजना :–</u>

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866 / 342 / सी.सी. / 2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017–18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।

इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें :–

I. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

II. विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय छः लाख रूपये से कम हो।

III. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

11.1.2 <u>योजना का स्वरूप</u>

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश / पात्रता संबंधी समय–समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थी को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5–6 / 2017 / 42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

11.1.3 स्पष्टीकरण :– प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा। तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 <u>मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) :–</u>

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14–2 / 2008 / 42–2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्ते :–

I. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।

II. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा–5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन नेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्पष्टीकरण :– स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूण्र :– उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

11.3 मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना :– मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50–2, भोपाल, दिनांक 21.06.2021 के अनुसार।

11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) –

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3) –

परिवार से अभिप्राय पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट–3.2) और जिनके माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट–3.2.1) या माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट–3.2.2) या माता–पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट–3.2.3)

''कोविड–19 से मृत्यु'' का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4) –

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2) –

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में <u>हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा</u>

साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संसा की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका – 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार – लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट – 5.3.4)

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट – 5.3.5)

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ–मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही के शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट–8)

11.4. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 :–

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/– की प्रोत्साहन राशि 02 समान किस्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य –

I. मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना
II. आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
III. समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
IV. बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।

पात्रता की शर्त :–

I. एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
II. माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
III. माता–पिता आयकर दाता न हों।
IV. माता–पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

विशेष :– उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ :–

I. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25,000/– की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी।
II. लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

12. वन–स्टेप–अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :–

12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन–स्टेप–अप योजनांतर्गत प्रायमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. /44.27 / 2015 / 20.2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों / विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।

12.2 वन–स्टेप–अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन / ई–सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभगा के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा व अनिवाय्र रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया :–

(अ) विधि स्नातक (एल.एल.बबी. / बी.ए.एल.एल.बी.) में नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीटों (अधिकतम 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन) एवं मापदण्डों अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

(ब) विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहां संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।

(स) स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विधि संकाय में प्रथम चरण से ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

13.1 एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत –

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45
अन्य पिछड़ा वर्ग	42
अनुसूचित जाति / जनजाति	40

13.2 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत :–

हायर सेकण्डरी एवं पूर्व ग्यारहवीं में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे –

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45
अन्य पिछड़ा वर्ग	42
अनुसूचित जाति / जनजाति	40

13.3 पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :–

यदि आवेदक ने पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल.एल.बी. त्रि–वर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :– आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बेसिक क्वालिफिकेशन) से प्रापत किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। (The BCI Rules Page No-35 & Para No-02)

13.4 एल.एल.एम. में प्रवेश :–

(अ) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.सी. त्रिवर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप :– न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

14. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :–

14.1 म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772 / 216 / सीसी / 2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही सामान होगी।

14.2 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547 / 484 / सीसी / 2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा–बी.ए.बी.एस.सी. बी.कॉम. एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु. जाति / अनु.जनजाति / दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

15. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :–

15.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

15.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल अद्यतन कर मैपिंग महाविद्यालय में ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :–

सत्र 2024–25 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी / कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

16.1 सत्र 2023–24 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम / विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2024–25 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16.2 सत्र 2023–24 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2023–24 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16.3 सत्र 2024–25 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

17. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :–

17.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

17.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज

प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

17.3 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।

17.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।

17.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

18. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :– प्रवेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस की समय–सीमा में ऑनलाइन ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :–

18.1 स्नातक स्तर हेतु :– पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)/शेष सेमेस्टरों में (तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।

18.1.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण/एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

18.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सेमेस्टर पद्धति से संचालित स्वशासी महाविद्यालयों हेतु प्रावधान :–

18.1.3 आर्डिनेंन्स (14 ए) के अनुसार

यदि कोई विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में एफ/F (fail) या एबी/AB (Absent) ग्रेड प्राप्त करता है, तो उसे पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को वि.वि./UTD/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनः शामिल होना होगा। सी.सी.ई. के अंक कैरी फारवर्ड किए जा सकेंगे एवं ग्रेड निर्धारण में पुनर्परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।

(अ) विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में तभी पदोन्नत किया जाएगा जब वह एक सेमेस्टर में कुल क्रेडिट के कम से कम आधे क्रेडिट प्राप्त करता है। यदि विद्यार्थी कुल क्रेडिट के आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी को उस सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, इस स्थिति में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूरा सेमेस्टर पुनः दोहराना होगा साथ ही वह सेमेस्टर शून्य सेमेस्टर माना जाएगा ऐसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

(ब) यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होता है, तो उस विद्यार्थी को उस सेमेस्टर में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और यदि विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में कुल क्रेडिट के आधे क्रेडिट प्राप्त करता है और उस सेमेस्टर के कुछ प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में एटीकेटी (ATKT) सहित अस्थायी रूप से अगले सेमेस्अर में पदोन्नत किया जा सकेगा।

(स) यदि विद्यार्थी एटीकेटी (ATKT) परीक्षा में शेष सभी प्रश्न पत्रों को पास करने में असफल रहता है, तो अस्थायी पदोन्नति समाप्त कर दी जाएगी लेकिन उसे असफल प्रश्न पत्रों को पास करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। मान लीजिए कि उपरोक्त दूसरे अवसर के बाद भी विद्यार्थी संबंधित प्रश्न पत्रों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, ऐसे प्रकरण में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह सेमेस्टर शून्य–सेमेस्टर माना जाएगा एवं विद्यार्थी को पूरे सेमेस्टर को दोहराने के लिए कहा जाएगा।

(द) यदि वर्तमान स्वशासी महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष का अवसर नहीं दिया जा रहा हो तो उसी विश्वविद्यालय के अन्य स्वशासी महाविद्यालय/यू.टी.डी. में स्नातक चतुर्थ वर्ष/सप्तम सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति से संचालित स्वशासी/अन्य महाविद्यालयों हेतु प्रावधान :–

18.1.4. आर्डिनेंन्स (14 बी) के अनुसार

(अ) यदि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में एफ/F (fail) या एबी/AB (Absent) ग्रेड प्रापत करता है, तो उसे प्रश्न पत्र में पूरक/अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनः शामिल होना होगा। सी.सी.ई. के अंक कैरी फारवर्ड किए जा सकेंगे एवं ग्रेड निर्धारण हेतु पुनर्परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।

(ब) विद्यार्थी को अगले वर्ष में तभी पदोन्नत किया जाएगा जब वह एक वर्ष में कुल क्रेडिट के आधे क्रेडिट प्राप्त करता है, (उदाहरणार्थ वार्षिक परीक्षा पद्धति के कुल 40 क्रेडिट में से 20) यदि विद्यार्थी कुल क्रेडिट के आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को उस वर्ष में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, ऐसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को अगले सत्र के लिए पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

(स) यदि कोई विद्यार्थी किसी वर्ष में सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होता है, तो विद्यार्थी को उस वर्ष में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी वर्ष के कुल क्रेडिट के कम से कम आधे क्रेडिट प्राप्त करता है और कुछ प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में पूरक सहित अस्थायी रूप से अगले वर्ष में पदोन्नत किया जा सकेगा।

(द) यदि विद्यार्थी अगली पूरक परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों को पास करने में असफल रहता है, तो अस्थायी पदोन्नति समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उसे असफल प्रश्न पत्रों को पास करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। मान लीजिए कि उपरोक्त दूसरे अवसर के बाद भी विद्यार्थी संबंधित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, ऐसे प्रकरण में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह वर्ष शून्य वर्ष के रूप में माना जाएगा, एवं विद्यार्थी को पूरे वर्ष को दोहराने के लिए कहा जाएगा।

(य) यदि वर्तमान महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष का अवसर विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा हो तो उसी विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालय/यू.टी.डी. में स्नातक चतुर्थ वर्ष/सप्तम सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

18.2 <u>स्नातकोत्तर स्तर हेतु :–</u> पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक–समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

18.3 <u>नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश :–</u> नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क/10 रूपये का ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की आधी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा शेष राशि महाविद्यालय स्तर में परीक्षा शुल्क जमा करने के पूर्व ऑनलाइन जमा करना होगा। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 30/– देय होगा।

18.4 सत्र 2021–22 से लागू मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है।

18.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश :–
कंडिका 23.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक–स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर–स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रापत करना अनिवार्य होगा।

18.6 स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :– मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

18.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/36–2, दिनांक 19.12.2018 के तहत् ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2024–25 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2023–24 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2024–25 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

18.7 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :– जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

18.8 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

18.9 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :–
महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

19. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम
पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :–

19.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहां लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

19.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

19.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा. लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

19.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19.5 विशेष परीक्षार्थी :– कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/सा–5'अ'/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/कला–संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय सारणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।

20. <u>स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम :–</u>

20.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रष्न पत्रों की परीक्षा होगी।

20.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

20.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

20.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/35, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

21. <u>प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :–</u>

21.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

21.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में वृद्धि हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे।

21.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।

21.4 इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

21.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक–पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय (https://epravesh.mponline.gov.in) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।

21.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रस चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।

21.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।

21.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया –

(अ) नवीन निजी महाविद्यालय को विभाग द्वारा जारी आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय की प्रोफाईल निर्मित करना अनिवार्य होगा।

(ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था से संबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

(स) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।

(द) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।

(य) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 21.8 के साथ–साथ, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।

(र) महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।

(ल) महाविद्यालय को प्रोफाइल अद्यतन करते समय संकायवार/विषयवार सीटों का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(व) पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाईल कोरिवर्ट किया जाएगा। रिवर्ट की गई प्रोफाईल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन को कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की होगी।

(स) स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UHO के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रति सेक्शन गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

22. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :–

22.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

22.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई–प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन ई–प्रवेश पोर्टल पर मान्यता सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

22.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उततीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

22.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

22.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता–विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा / उपाधि मान्य नहीं होगी।

22.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट, सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

22.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

23. प्रवेश की पात्रता :–

23.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों / भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिए निम्न प्रावधान लागू होंगे :–

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप में कमजोर विद्यार्थियों के लिए द्वारा प्रवेश में (12 B के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल मं दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

24. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :–

24.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

24.2 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ–1–16/2007 (सी.पी.पी. II) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी लागू रहेगी।

24.3 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

24.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :–

25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह–विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रापत विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश में वंचित कर दिया जायेगा।

25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था में प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी

किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेगी।

26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

26.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–277–इक्कीस–अ (प्रा) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

26.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्रापत अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.–5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

26.7 एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

26.7 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

26.8 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत/दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

26.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

26.10 <u>अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :–</u>

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्य महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम में संचालित होगी।

सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01 : 01 (अल्पसंख्यक श्रेणी : गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी।

26.11 कंडिका 6.4 अनुसार सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी में (आवेदक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

26.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

26.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

27. अधिभार :–

अधिभार हेतु प्रमाा पत्र संबंधी :–

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2020–21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र <u>(अर्थात् सत्र 2021–22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे)</u> तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

- खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराईट के आधार पर सुरक्षित होंगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)

- कला–संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सी.सी.–एन.एस.एस.– स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5–5 सीट आउटराईट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य/संभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराईट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

27.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउठराइट (Outright)

1. ओलंपिक खेल/वर्ल्डकप चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चेम्पियनशिप/साउथ एशियन गेम्सपैरालंपिक गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स, अंडर 17/19/खेलों इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/यूथ/जूनियर नेशनल सब जूनियर/जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय संस्था प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।	

श्रेणी B – (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रतियोगिता/इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला/सीबीएससी/केवीएस/आईपीएससी/डीएबी/एनवीएस/विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी C – (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता सीबीएससी क्लस्टर/केवीएस/एनवीएस, डी.ए.व्ही./विद्या भारतीय/सुबतो कप/स्कूल स्पोर्ट (जिला, स्पोर्टस एसोसिएशन/जिला/डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन/जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित) के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्रापत खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिभार

27.2 कला – संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउठराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर	गतिविधियां – • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक), गायन (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य शास्त्रीय/सुगम/लोक/पाश्चात्य सुगम) • क्विज • रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा

	• डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी / एनीमेशन / फिल्म मैकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) • फाइन आर्टस (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) • थियेटर • वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • विज्ञान संबंधी गतिविधियां	

श्रेणी – B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

(नृत्य भारतीय शास्त्रीय / लोक, गायन हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य शास्त्रीय / सुगम लोक पाश्चात्य सुगम) क्विज रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी / एनीमेशन / फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) ललितकला थियेटर डिबेट (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	B	राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	C	संभाग स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्रापत होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	D	जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिभार

27.3 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स (स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु –

श्रेणी – A विशेष प्रोत्साहन – आउटराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. / एन.एस.एस., कॉन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्रापत एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी – B – (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी – C – (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीया सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी – D – (प्रतिशत अधिभार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	

27.4	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
27.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
27.6	जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत
27.7	स्थानीय विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता निकट के स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी।)	5 प्रतिशत

28. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :–

28.1 <u>प्रवेश पश्चात प्राचार्य के अधिकार :–</u>

28.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

28.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने ये सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली है, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

28.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

28.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकारण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

28.2 <u>प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :–</u>

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

28.2.1 प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/– काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

28.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

28.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

रिमार्क :– यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

28.3 <u>हितग्राही योजना परिवर्तन :–</u>

28.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/लाड़ली लक्ष्मी योजना/मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

28.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

28.4 <u>विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन :–</u>

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालयमें विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। सामान्य/परम्परागत पाठ्यक्रमों से विधि पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी।

28.5 प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया :–

सत्र 2024–25 में स्नातक/स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया जाना है को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 03 दिवस की समयावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेष टीप :– आवेदक का स्थानांतरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानान्तरित होने वाले महाविद्यालय की मैरिट सूची अन्तर्गत पात्रता बनती हो।

28.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी न केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त अनिवार्य अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा।

28.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटि डेटा में संशोधन प्रक्रिया :–

(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय–सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

(ब) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय–सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

28.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2024–25 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

28.9 <u>प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रवेश करने संबंधी–</u> एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहें।

28.10 <u>अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान/व्यवस्था–</u> ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

28.11 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय7समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

नोट – ऑनलाइन प्रवेश सारणी हेतु उच्च शिक्षा विभाग की वेवसाइट का अवलोकन करें।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20/05/2024

क्रमांक 313/52/सी.सी./24/38 :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2024–25 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु अकादमिक कैलेण्डर परिशिष्ट–01 एवं परिशिष्ट–02 पर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट–1

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2024–2025 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरंभिक कक्षाएँ	01 जुलाई 2024	21 दिसम्बर 2024
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई 2024 से 08 नवम्बर 2024	21 दिसम्बर 2024 से 17 अप्रेल 2025
सी.सी.ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ	19 अक्टूबर 2024 से 07 नवम्बर 2024 के मध्य	01 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	16 नवम्बर 2024 से 21 नवम्बर 2024	18 अप्रैल 2025 से 22 अप्रेल 2025
सेमेस्टर एवं एटी केटी परीक्षा	22 नवम्बर 2024 से 12 दिसम्बर 2024	23 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	13 दिसम्बर 2024 से 20 दिसम्बर	16 मई 2025 से 30 जून 2025
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2024 तक	10 जून 2025 तक

- प्रवेश उत्सव कार्यक्रम : जुलाई 2024
- छात्र संघगठन : सितम्बर– 2024
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/ : माह नवम्बर 2024 तक दीक्षान्त समारोह एवं अन्य सम्पूर्ण गतिविधियाँ पूर्ण करली जाएँ
- दीपावली अवकाश : दिनांक 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2024 तक (05 कार्य दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन : फरवरी 2025 द्वितीय सप्ताह

टीप :–

- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विविस्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये।
- शैक्षणिक कार्यदिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावे।

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय कार्य दिवसों की गणना
सत्र 2024–2025

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्यदिवस
1	जुलाई 2024	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
2	अगस्त 2024	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
3	सितम्बर 2024	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
4	अक्टूबर 2024	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
5	नवम्बर 2024	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
6	12 दिसम्बर 2024 तक	12	2 रविवार + 0 अवकाश	10
	कुल दिवस	165	33	132

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना
सत्र 2024–2025

क्र.	विवरण	कार्यदिवस
1.	01 जुलाई 2024 से 12 दिसम्बर 2025 तक कुल कार्य दिवस	132
2.	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश – 03 कार्य दिवस 2. दीपावली अवकाश – 05 कार्य दिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ – 08 कार्य दिवस 4. परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश – 05 कार्य दिवस 5. परीक्षा – 20 कार्य दिवस	41
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1–2) (132–41)	91

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना
सत्र 2024–2025

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्यदिवस
1	21 दिसम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024	11	2 रविवार + 1 अवकाश	08
2	जनवरी 2025	31	4 रविवार	27
3	फरवरी 2025	28	4 रविवार + 2 अवकाश	22
4	मार्च 2025	31	5 रविवार + 2 अवकाश	24
5	अप्रैल 2025	30	4 रविवार + 3 अवकाश	23
6	मई 2025	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
7	जून 2025	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
8	कुलदिवस	192	192–38	154

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना
सत्र 2024–2025

क्र.	विवरण	कार्यदिवस
1.	21 दिसम्बर 2024 से 30 जून 2025 तक कुल कार्य दिवस	154
2.	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ – 03 कार्य दिवस 2. परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश – 05 कार्य दिवस 3. परीक्षा – 20 कार्य दिवस 4. ग्रीष्म अवकाश – 36 कार्य दिवस	64
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1–2) (154–64)	90

परिशिष्ट– 2

सत्र 2024–25 अकादमिक कैलेण्डर
(वार्षिक पद्धति–स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

क्र.	विवरण	तिथि
1	प्रवेश प्रारंभ	25 मई 2024
2	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01 जुलाई 2024
3	प्रवेश कार्यक्रम	जुलाई 2024
4	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण शिविर	प्रवेश समाप्ति के पश्चात 30 दिवस तक
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ	
1	छात्र संगठन	सितम्बर 2024
2	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ	ये सभी गतिविधियाँ माह नवम्बर 2024 तक पूर्ण कर ली जाएं।
3	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2025 (अधिकतम 03 कार्य दिवस)
	आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ	
1	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.09.2024 से 30.09.2024
2	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	31.10.2024
3	त्रिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2024
4	छःमाही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2024
5	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	22 फरवरी 2025
6	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	13 मार्च से 25 मार्च 2025
7	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2025
8	वार्षिक परीक्षा	01 अप्रैल से 31 मई 2025
9	(I) स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	10 जून 2025
	(II) शेष समस्त परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	31 जुलाई 2025
	अवकाश	
1	दीपावली	दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 2 नवम्बर 2024 (05 कार्यदिवस)
2	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	16.05.2025 से 30.06.2025 (कुल 36 कार्य दिवस)

नोट :– स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2024–25
(वार्षिक पद्धति–स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	20 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्र संघगठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग	95
(ब)	परीक्षा/ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1.	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
2.	परीक्षा अवधि	37 कार्य दिवस
3.	ग्रीष्म अवकाश	36 कार्य दिवस
	योग	79 कार्य दिवस
1.	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) (95+79) = 174	174 कार्य दिवस
2.	कुल शैक्षणिक दिवस (365–174) = 191	191 शैक्षणिक कार्य दिवस

नोट – अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जाए एवं शैक्षणिक कार्य दिवस होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठयक्रम पूर्ण किया जावे।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

ऑनलाइन पंजीयन क्र. आवेदन फार्म क्र.

अम्बाह स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना) म.प्र.

(जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सम्बद्ध स्वशासी महाविद्यालय)

प्रवेश आवेदन-पत्र

सत्र : 2024-25

एप्लीकेंट आई.डी. आधार क्रमांक

(जो M.P. Online रजिस्ट्रेशन से मिली है)

कक्षा : वर्ष/सेमेस्टर :

संवर्ग–सही (✓) का निशान बॉक्स में लगायें : (जो लागू हो)

सामान्य	☐	अनुसूचित जाति	☐	अनुसूचित जनजाति	☐
अन्य पिछड़ा वर्ग	☐	निःशक्तजन	☐	स्वतंत्रता सैनानी/सैनिक आश्रित	☐
अल्पसंख्यक	☐	गरीबी रेखा से नीचे	☐	खिलाड़ी	☐
हिन्दू	☐	सिख	☐	ईसाई	☐
बौद्ध	☐	मुस्लिम	☐	अन्य	☐

एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आई.डी. (ABC ID)

गत परीक्षा का विवरण

वर्ष	कक्षा	प्राप्तांक	पूर्णांक	परिणाम/प्रतिशत

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर आवेदित विषय/प्रश्नपत्र :

स्नातक

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

स्नातकोत्तर विषय .....

जन्म तिथि (अंकों में) दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

जन्म तिथि (शब्दों में) .....

रक्त समूह ☐ ई–मेल आई.डी. :

पिता/पालक की ई–मेल आई.डी.:

आयु (1 जुलाई 2024 को) वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में).....

2. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)

3. पिता का पूरा नाम एवं व्यवसाय नाम श्री.....व्यवसाय.....

विद्यार्थी का मोबा. नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ विद्यार्थी के पिता का मोबा. नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4. माता का पूरा नाम एवं व्यवसाय श्रीमती.....व्यवसाय.....

5. स्थायी पूर्ण पता : .....

.....

6. स्थानीय पूर्ण पता : .....

.....

7. यदि माता–पिता अम्बाह शहर में .....

नहीं रहते हैं तो स्थानीय अभिभावक .....

का नाम व्यवसाय एवं पूर्ण पता .....मोबाइल नं.....

8. निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम .....(रेलवे कंसेशन की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्थायी पते का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

9. राष्ट्रीयता : .....

10. जन्म का स्थान : तहसील.....जिला.....राज्य.....

11. क्या आवेदक म.प्र. का

मूल निवासी है (हाँ/नहीं) : तहसील.....जिला.....राज्य.....

(मूल निवासी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. अंतिम संस्था जहाँ अध्ययन किया : .....

13. क्या अध्ययन में अंतराल रहा : अंतराल का वर्ष और कारण.....

.....(शपथ पत्र संलग्न करें).....

14. विगत उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण : (सम्पूर्ण जानकारी करें)

उत्तीर्ण कक्षा	अनुक्रमांक	नामांकन	वर्ष	श्रेणी/ ग्रेड	प्राप्तांक/ पूर्णांक	नियमित स्वाध्यायी	विषय	शिक्षण संस्था का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम
(अ) हाई स्कूल									
(ब) उ.मा. परीक्षा 10+2									
(स) स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष/सेम..... वर्ष/सेम..... वर्ष/सेम.....									

15. (अ) आवेदक के विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रेगिंग/नकल प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरुद्ध की गई न्यायालय /महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण.....

(ब) यदि किसी न्यायालय / पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज है तो उसका विवरण दें।

16. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि हाँ तो–नियोक्ता का नाम.....

कार्यालय/संस्था का नाम.....

(नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

आवेदक की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :

- मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में उल्लेखित समस्त नियमों / निर्देशों / सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्ण अध्ययन कर लिया है।
- शासन / महाविद्यालय के नियम / अनुशासन व व्यवस्था के पति बचनबद्ध रहूँगा / रहूँगी। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में प्राचार्य के निर्णय का पालन करुँगा / करूँगी।
- ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा / लूँगी जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो।
- मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य / भ्रामक जानकारी दी है।
- कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूँगा / करूँगी अन्यथा मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- उपर्युक्त घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्राचार्य को महाविद्यालय से मेरा प्रवेश निरस्त करने का वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- मैं किसी प्रकार की रेगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूँगा / लूँगी।
- मैं महाविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूँगा / करूँगी, अपितु किसी समस्या की स्थिति में महाविद्यालय / विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उसे दूर करूँगा / करूँगी।

दिनांक :

.....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर तथा

पूरा नाम.....

माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पुत्र / पुत्री / पाल्य द्वारा इस आवेदन–पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य हैं। महाविद्यालय की विवरणिका में उल्लेखित समस्त नियमों / निर्देशों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय के अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्यों अनुशासन, उपस्थिति, दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में हम विशेष ध्यान देंगे तथा इसके लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। पुत्र / पुत्री / पाल्य द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म भरे जाने के पूर्व अथवा संत्रांत तक वांछित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसे सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित न किया जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा पाल्य किसी भी संक्रामक / गम्भीर रोग से ग्रसित है / नहीं है (ग्रसित होने के दशा में अनिवार्य रूप से प्रथक लिखित सूचना चीफ प्रॉक्टर को दें।

दिनांक :

.....

आवेदक के माता/पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर तथा

पूरा नाम.....

निम्नलिखित अंकसूची तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करें :

1. **विगत अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि**
2. **जन्मतिथि के लिये हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि (प्रथम बार प्रवेश के समय)**
3. **आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण–पत्र जैसे :**

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र/स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र/प्रवर्जन (माइग्रेशन) प्रमाण–पत्र/मूल निवासी प्रमाण–पत्र/पात्रता प्रमाण–पत्र/निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का प्रमाण–पत्र/एन.सी.सी./एन.एस.एस./क्रीड़ा संबंधी प्रमाण–पत्र/अंतराल का शपथ–पत्र/पालक के स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति।

टिप्पणी :–

प्रवेश सूची में नाम आने पर, प्रवेश के समय समस्त मूल प्रमाण–पत्रों/अंकसूचियों सहित सत्यापन हेतु समिति के समक्ष उपस्थिति होना अनिवार्य है।

शपथ–पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....

.....स्थायी पता.....

वर्तमान पता.....

दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल नंबर.....ने कक्षा.....सेम/वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन दिया है। मैं मूल रूप से.....का निवासी हूँ। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पूर्व में कभी भी पंजीबद्ध नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण किसी थाने में पंजीबद्ध है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण से संबंधित चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अभी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। प्रवेश के पश्चात् कोई आपराधिक तथ्य/महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं तो मेरे विरुद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

प्रवेश समिति की अनुशंसा

1. आवेदक को कक्षा.....सेम./वर्ष में निम्नलिखित विषयों के साथ अस्थायी प्रवेश दिया जाता है–

   (1) ..... (2) .....

   (3) ..... (4) .....

   (5) ..... (6) .....

2. आवेदन अस्वीकृति किया जाता है, कारण.....

3. निम्न कमियों की पूर्ति उपरांत प्रवेश की अनुशंसा की जाती है.....

प्रवेश समिति के संयोजक/सदस्य के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक.....

प्राचार्य

कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रवेश रसीद क्रमांक.....राशि.....

दिनांक.....प्राप्त हुए।

महाविद्यालय के विभाग एवं शैक्षणिक स्टाफ सत्र 2023-24

प्राचार्य
प्रभारी श्री विश्वास मेढेकर

भूगोल विभाग :
डॉ. दिनेश रावत, एम.ए., पीएच.डी.
डॉ. राजकुमार सिंह तोमर, एम.ए., पीएच.डी.
श्री मनु सिंह सिकरवार, एम.ए.
श्री अरूण सिंह तोमर, एम.ए.

अर्थशास्त्र विभाग :
डॉ. कमल भारद्वाज, एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.
डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
श्रीमती आरती गुर्जर, एम.ए.
कु. गिरिजा शर्मा एम.ए.

हिन्दी विभाग :
डॉ. शशिवल्लभ शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
डॉ. (श्रीमती) अभिलाषा श्रीवास्तव, एम.ए., पीएच.डी.
डॉ. (श्रीमती) पूर्णिमा अग्रवाल एम.ए., एम.एड., पी.एच.डी.
श्रीमती नीता तोमर एम.ए.

रसायन विभाग :
डॉ. व्ही.के. जैन, एम.एससी., पीएच.डी.
श्री मुकेश श्रीवास, एम.एससी.
डॉ. रमाकान्त शर्मा एम.एससी., पीएच.डी.
डॉ. आर.के. उपाध्याय, एम.एससी., पीएच.डी.
श्रीमती रेखा करोरिया, एम.एससी.

जन्तु विज्ञान विभाग :
डॉ. आनन्द देशपाण्डे, एम.एससी., पीएच.डी.
श्री दिनेश कुमार शर्मा, एम.एससी.,
डॉ. सतेन्द्र सिंह तोमर, एम.एससी., पीएच.डी.
श्री जितेन्द्र सिंह किरार, एम.एससी.
श्रीमती नीतू वर्मा, एम.एससी.

वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग :
कु. नेहा तोमर, एम.एससी.
कु. अपूर्वा उपाध्याय, एम.एससी.
श्री संतोष उपाध्याय, एम.एससी.

गणित विभाग :
श्री विश्वास मेढेकर, एम.एससी., एम.फिल.
श्री राजवीर शर्मा, एम.एससी.
श्री ब्रजेश राठौर, एम.एससी.
श्री शैलेन्द्र तोमर, एम.एससी.

भौतिक एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग :
डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
श्रीमती रेनू राजावत, एम.एससी., एम.फिल.

कम्प्यूटर विभाग :
श्री दिवाकर शर्मा, एम.एससी., एम.सी.ए., सी–टेक
श्री शमीम अहमद गौरी, एम.एससी.

अंग्रेजी विभाग :
श्री सुशील कुमार शर्मा, एम.ए.
श्री कल्याण सिंह भदौरिया, एम.ए.

इतिहास विभाग :
डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय, एम.ए., पी.एच.डी.

राजनीति शास्त्र विभाग :
डॉ. (श्रीमती) मंजू तोमर, एम.ए., पीएच.डी.

समाज शास्त्र विभाग :
डॉ. (श्रीमती) रक्षा कम्ठान, एम.ए., पीएच.डी.

संस्कृत विभाग :
रिक्त

वाणिज्य विभाग :
डॉ. बी.एम. बंसल, एम.कॉम., पीएच.डी.
डॉ. राधामोहन गुप्ता, एम.कॉम., पीएच.डी.
डॉ. पंकज सिंह, एम.कॉम., पीएच.डी.

पुस्तकालय :
श्री अशोक सिंह तोमर, एम.लिब., प्रभारी
श्री मनोज कुमार शर्मा

क्रीड़ा व खेलकूद विभाग :
श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, एम.पी.एड., क्रीड़ा अधिकारी

तकनीकी स्टाफ :
श्री विजय कुमार उपाध्याय
श्री उमेश राठौर
श्री रामकुमार मिश्रा

कार्यालय स्टॉफ :
श्री रामवरन राठौर, एच.सी.
श्री रामनरेश शर्मा
श्री याकूब खाँ
श्री रामवीर सिंह गुर्जर
श्री उमाकान्त शर्मा

डाटा ऑपरेटर :
श्री अजीत जैन
श्री अमित शर्मा
श्री संदीप पचौरी

गार्ड :
श्री रामप्रकाश पचौरी
श्री रामाधार शर्मा
श्री विकास सिंह तोमर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :
श्री नौशेर खाँ
श्री ओमप्रकाश
श्री कालीचरण सिंह

चतुर्थ श्रीणी (मानदेयी) :
श्री उत्तम ओझा
श्री बृजकिशोर कुशवाह
श्री इरफान खाँ
श्री रंजीत सिंह
श्री रिहान खाँ
श्री झण्डू सिंह
श्रीमती शीतल
श्री लियाकत खाँ
श्री बन्टी
श्रीमती यशोदा
श्री धीरेन्द्र

We Know What We Are, But Not
What We May Be
WILLIAM SHAKESPEARE

सरस्वती मन्दिर
अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बाह

AMBAH P.G. COLLEGE
ESTD - 1959
AMBAH M.P.